

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

६वां, ७वां एवं ८वां तल, टावर-बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,
नौराजी नगर, नई दिल्ली - 110029

दिनांक: 11.4.2025

याचिका सं. 175 / टीएल / 2025

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस
राजस्थान IV 4वी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, 161, फर्ट मलोर, वर्धमान क्राउन मॉल, अंबरहाई, सर्वथ वेस्ट दिल्ली, नई दिल्ली-110075 द्वारा निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण आधार (जिसे इसके पश्चात 'पारेषण योजना / परियोजना' कहा गया है) पर 'राजस्थान आरईजे फेज-IV (पार्ट-4: 3.5 जीडब्ल्यू): पार्ट बी से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली' (जिसे इसके पश्चात 'परियोजना' कहा गया है) स्थापित करने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14 और 15 के अधीन आवेदन किया गया है। परियोजना का कार्यक्षेत्र जिसके लिए पारेषण अनुज्ञापि की मांग की गई है, निम्नानुसार है:

क्र. सं.	पारेषण योजना का कार्य-क्षेत्र	प्रभावी तारीख से अनुसूचित सीओडी
1	मेडता-II एस / एस पर 2x240 एमवीएआर (765 केवी) एवं 2x125 एमवीएआर (420 केवी) बस रिएक्टर सहित एक उपयुक्त स्थान नजदीक मेडता (मेडता-II सबस्टेशन) पर 765 / 400 केवी, 2x1500 एमवीए की स्थापना मेडता-II एस - आरईएस <ul style="list-style-type: none"> 765 / 400 केवी 1500 एमवीए आईसीटी-2 नं. (एक स्पेयर यूनिट सहित 7x500 एमवीए) 400 / 220 केवी 500 एमवीए आईसीटी - 5 नं. 765 केवी आईसीटी बे - 2 नं. 400 केवी आईसीटी बे - 7 नं. 220 केवी आईसीटी बे - 5 नं. 765 केवी लाइन बे : 4 नं. (दोसा एस / एस एवं बाडमेर-1 पीएस सहित 765 केवी अंतरसंयोजन के लिए) 400 केवी लाइन बे : 2 नं. (थावर एस सहित 400 केवी अंतरसंयोजन के लिए) 240 एमवीएआर बस रिएक्टर - 2 नं. (एक स्पेयर यूनिट सहित, 7x80 एमवीएआर) 765 केवी बस रिएक्टर बे - 2 नं. 125 एमवीएआर बस रिएक्टर - 2 नं. 400 केवी बस रिएक्टर - 2 नं. 220 केवी लाइन बे: 7 नं. (आरई संयोजकता के लिए) 220 केवी बीसी (2 नं.) वे और 220 केवी टीबीसी (2 नं.) बे 110 एमवीएआर स्पेयर रिएक्टर यूनिट (सिंगल फेस)- 1 नं. 220 केवी सेवशनलाइज़र बे (1 सेट) मेडता-II एस / एस पर भावी प्रावधान : स्थान के लिए <ul style="list-style-type: none"> बे सहित 765 / 400 केवी आईसीटी - 4 स्विचेबल लाइन रिएक्टर सहित 765 केवी लाइन बे - 8 बे सहित 765 केवी बस रिएक्टर : 1 नं. स्विचेबल लाइन रिएक्टर सहित 400 केवी लाइन बे - 8 नं. 400 केवी लाइन बे - 2 नं. बे सहित 400 केवी बस रिएक्टर : 1 नं. 400 केवी सेवशनलाइज़र बे : 2 सेट बे सहित 400 / 220 केवी आईसीटी - 1 नं. आरई अंतर्क्षेपण के लिए 220 केवी लाइन बे - 1 नं. 220 केवी सेवशनलाइज़र बे : 1 सेट 220 केवी बीसी (1 नं.) बे और 220 केवी टीबीसी (1 नं.) बे स्टेटकॉम 400 केवी बे सहित (2x+300एमवीएआर, 4x125 एमवीएआर एमएससी, 2x125एमवीएआर एमएसआर) (2 नं.)	एसपीवी अंतरण से 24 मास (30.12.2026)
2	बाडमेर-1 पीएस - मेडता-II 765 केवी डी / सी लाइन के प्रत्येक सिरे पर प्रत्येक सर्किट के लिए 330 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर सहित बाडमेर-1 पीएस - मेडता-II 765 केवी डी / सी लाइन <ul style="list-style-type: none"> बाडमेर-1 पीएस सिरे पर 765 केवी, 330 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर - 2 नं. मेडता-II एस / एस सिरे पर 765 केवी, 330 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर - 2 नं. बाडमेर-1 पीएस सिरे पर 765 केवी, 330 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टरों के लिए स्विचिंग उपकरण - 2 नं. मेडता-II एस / एस सिरे पर 765 केवी, 330 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टरों के लिए स्विचिंग उपकरण - 2 नं. बाडमेर-1 पीएस पर 110 एमवीएआर स्पेयर यूनिट (सिंगल फेस) - 1 नं. 	
3	मेडता-II - थ्यावर 400 केवी डी / सी लाइन (क्वेद)	
4	मेडता-II - दौसा 765 केवी डी / सी लाइन के प्रत्येक सिरे पर प्रत्येक सर्किट के लिए 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर सहित मेडता-II - दौसा 765 केवी डी / सी लाइन <ul style="list-style-type: none"> दौसा एस / एस सिरे पर 765 केवी, 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टरों - 2 नं. मेडता-II एस / एस सिरे पर 765 केवी, 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टरों - 2 नं. दौसा एस / एस सिरे पर 765 केवी, 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टरों के लिए स्विचिंग उपकरण - 2 नं. मेडता-II पीएस सिरे पर 765 केवी, 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टरों के लिए स्विचिंग उपकरण - 2 नं. 	
5	बाडमेर-1 पीएस एवं दौसा एस / एस पर प्रत्येक 2 नं. 765 केवी लाइन बे	
	<ul style="list-style-type: none"> बाडमेर-1 पीएस पर 765 केवी लाइन बे - 2 नं. दौसा एस / एस पर 765 केवी लाइन बे - 2 नं. 	
6	थ्यावर एस / एस पर 2 नं. 400 केवी लाइन बे	
	<ul style="list-style-type: none"> थ्यावर एस / एस पर 2 नं. 400 केवी लाइन बे - 2 नं. 	

नोट:

- बाडमेर-1 पीएस का विकासकर्ता बाडमेर-1 पीएस पर 330 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर के 2 नं. के लिए और स्पेयर रिएक्टर यूनिट (110 एमवीएआर) के लिए स्थान सहित 765 केवी लाइन बे के दो नंबरों के लिए स्थान प्रदान करेगा।
- सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 14.1.2025 के अपने पत्र के माध्यम से प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञापि प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।
- रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 175 / टीएल / 2025 में दिनांक 11.4.2025 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोलितिक पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञापि जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।
- राजस्थान IV 4वी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञापि प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट <http://www.draipl.com> पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।
- नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के अनुसरण में दिया गया है कि उत्त के अनुसार आवेदक को पारेषण अनुज्ञापि प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक 21.4.2025 तक अध्याहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। यिनिहाँ तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- आयोग द्वारा दिनांक 22.4.2025 को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए / डीए नहीं हस्ता - / (हरप्रीत सिंह पूर्णी) सचिव